कार्यालय, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची–834006
(OFFICE OF THE INSTITUTE OF ANIMAL HEALTH & PRODUCTION KANKE, RANCHI – 834006)
Email id – iahp.kankeranchi@yahoo.com

पत्रांक:- 1054 दिनांक:- 08/10/2024

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में पशुधन रोगों को नियंत्रित करने की योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत रानीखेत रोग के नियंत्रण हेतु टीकाकरण कार्य करने को इच्छुक गैर सरकारी संस्थान के चयन हेतु **"इच्छा की अभिव्यक्ति"** का आमंत्रण।

कार्यक्षेत्रः

झारखण्ड राज्य के सभी जिले।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें:–

निदेशक,
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान,
काँके, राँची।
पिन कोड – 834006

"इच्छा की अभिव्यक्ति" प्राप्त करने की अन्तिम तिथि :– 24.10.2024 (अपराह्न 3:00 बजे तक)
"इच्छा की अभिव्यक्ति" खोलने की तिथि :– 26.10.2024 (अपराह्न 2:00 बजे)
वैधता अवधि :– उक्त कार्य हेतु संस्थान का चयन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मान्य होगा।

पात्रता मापदण्ड एवं कार्य का प्रारूप की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://jharkhand.gov.in/agriculture एवं https://animalhusbandry.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है।

निदेशक
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान,
काँके, राँची।

Scanned with CamScanner

पात्रता मापदंडः—

1. आवेदक गैर सरकारी संस्थान का निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का Audited balance sheet एवं ITR का कागजात संलग्न होना चाहिए।

2. आवेदक गैर सरकारी संस्थान को पशुपालन के क्षेत्र में कार्य का विवरण (दस्तावेज, चित्र आदि) आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

3. कार्य के निषादन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन का पूर्ण विवरण।

4. संस्थान जिन जिलों में कार्य करने को इच्छुक है, आवेदन में उसका उल्लेख करना होगा।

5. इच्छुक संस्थान को टीकौषधि प्राप्त करने, संग्रहण एवं टीकाकरण के समय कोल्ड चेन की व्यवस्था संबंधित आधारभूत संरचना का विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। कोल्ड चेन व्यवस्था की भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही संस्थान का अन्तिम रूप से चयन किया जाएगा।

6. टीकाकरण कार्य करने के लिए संस्थान का चयन करने वाली समिति द्वारा तय बैंक गारंटी की राशि संस्थान को एकरारनामा के पूर्व कार्यालय में जमा करनी पड़ेगी। टीकाकरण कार्य के लिए संस्थान को समिति द्वारा तय दर पर सहायता अनुदान दिया जाएगा। एकरारनामा के अनुरुप कार्य नहीं करने पर सहायता अनुदान की राशि बैंक गारंटी से समायोजित की जाएगी।

7. इच्छा की अभिव्यक्ति के सभी दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफा में भरकर निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची को संबोधित कर प्रस्ताव निबंधित डाक/हाथों हाथ दिनांक 24.10.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। विलम्ब से इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की स्थिति में उक्त प्रस्ताव अमान्य होगा।

8. किसी जिले में एक से ज्यादा संस्थान द्वारा कार्य किए जाने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में कार्य आवंटन का अन्तिम निर्णय निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची का होगा।

9. निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन काँके, राँची को बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार होगा।

Scanned with CamScanner

कार्य का प्रारुपः—

1. चयनित गैर सरकारी संस्थान को टीकाकरण का कार्य एक निश्चित क्षेत्र का चयन कर स्थानीय पशुचिकित्सक की जानकारी में तिथिवार किया जाएगा तथा इसका प्रतिवेदन जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. रानीखेत रोग नियंत्रण हेतु प्रयुक्त टीकौषधि, सिरिंज इत्यादि पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
3. किये गये कार्यों का अनुश्रवण प्रत्येक प्रमंडल में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के द्वारा किया जाएगा।
4. चयनित अभिकर्त्ता/संस्थान संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क कर उनके निदेशानुसार टीकाकरण की तिथि निर्धारित कर इसका प्रचार–प्रसार करेंगे एवं इसकी तिथिवार सूची निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची को भी ससमय टीकाकरण के पूर्व उपलब्ध कराऐंगे।
5. योजनान्तर्गत सभी जिलों में मिलाकर अधिकतम 30,00,000 (तीस लाख) कुक्कुटों का टीकाकरण किया जाना है।

निदेशक
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान,
काँके, राँची।

Scanned with CamScanner